(156)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2048-पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-2-2016 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला, इंदौर प्रकरण क्रमांक 21/बी-121/2015-16.

---

1. कमलाबाई बेवा भोलाराम वर्मा
2. उमाशंकर पिता स्व.भोलाराम वर्मा
3. रविशंकर पिता स्व.भोलाराम वर्मा
4. राजेन्द्र पिता स्व. भोलाराम वर्मा
5. संजय स्व. भोलाराम वर्मा

निवासीगण 306 बड़ी ग्वाल टोली इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. शंकर पिता सुखराम
2. हुकुमचंद पिता सुखराम
3. राजाराम पिता सुखराम
4. शिवप्रसाद पिता सुखराम
5. कलाबाई पिता सुखराम

निवासी गीता नगर पिपल्याहाना इंदौर

6. गीता नगर इंदौर गृह निर्माण सह. संस्था

मर्या. इंदौर तर्फे राजेश कुमार पिता रमेशचन्द्र
कार्या. 25 शिवविलास पैलेस, इंदौर
निवासी 2/9 यशवंत निवास रोड इंदौर .....अनावेदकगण

श्री श्रृद्धानंद मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 29-2-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/अ-6/84-85 में पारित आदेश दिनांक 29-10-85 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर,

इंदौर के समक्ष दिनांक 29-9-11 को लगभग 26 वर्ष विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/निगरानी/11-12 में दिनांक 23-7-2012 को आदेश पारित कर आवेदकगण द्वारा समय बाह्य निगरानी प्रस्तुत करने तथा तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम स्वरूप का होने से निगरानी पोषणीय नहीं होने के कारण निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 3162-पीबीआर/12 में दिनांक 7-8-15 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुण-दोष पर निराकरण हेतु प्रकरण अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/बी-121/2015-16 पंजीबद्ध कर दिनांक 29-2-2016 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि निगरानी समय-सीमा के बिन्दु पर निरस्त नहीं कर, गुण-दोष के आधार पर निराकृत करनी चाहिए, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं वरिष्ठ न्यायालय का मत है, किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय का बिना अभिलेख मंगाये आदेश पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय का बिना अभिलेख मंगाये प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण नहीं किया जा सकता है लेकिन अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय का अभिलेख बिना बुलाये, बिना परिशीलन किए मनमाने रूप से आदेश पारित किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय का अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर अपर कलेक्टर को साक्षियों के कूट परीक्षण एवं दस्तावेज के आधार गुण-दोष पर निराकरण हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को भेजना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

उनके द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर, प्रकरण अपर कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया कि अपर कलेक्टर तहसील न्यायालय का अभिलेख मंगाकर विधिवत आदेश पारित करें । यदि तहसील न्यायालय का अभिलेख उपलब्ध नहीं होने पर तहसील न्यायालय को समस्त दस्तावेजों का परीक्षण साक्ष्य के आधार पर किया जाकर, गुण-दोष पर निराकरण करने हेतु प्रकरण तहसील को प्रत्यावर्तित करने के निर्देश कलेक्टर को दिये जायें ।

4/ अनावेदक पक्ष के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में आए तथ्यों से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय का प्रकरण न तो दर्ज हुआ है और न ही उपलब्ध है । अपर कलेक्टर ने उनकी जानकारी में यह तथ्य आने पर उसकी जांच भी नहीं कराई है । उपरोक्त परिस्थिति में जबकि मूल आदेश विद्यमान ही नहीं है, अतः ऐसे आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-10-85 तथा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-2-2016 निरस्त किए जाते हैं । प्रकरण तहसील न्यायालय को पुनः उभय पक्ष को अपना-अपना पक्ष रखने का अवसर देकर विधिवत आदेश पारित करने के लिए प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर